

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2011—श्रावण 28, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. बी.-1-54-2010-2-पांच (24).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित इकाइयों को रेस्टोरेंट बार एफ. एल.-2 अनुज्ञप्ति तथा होटल बार एफ. एल.-3 अनुज्ञप्ति से, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में यथा अंतर्विष्ट क्रमशः एफ.एल.-2 की अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक (8-ख) तथा एफ. एल.-3 की अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक (4) से छूट प्रदान करती है.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. बी.-1-54-2010-2-पांच (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी.-1-54-2010-2-पांच (24) दिनांक 19 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th August 2011

No. B-1- 54-2010-2-V(24).—In exercise of the powers conferred by Section 66 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, exempts the Restaurant Bar Licence of F. L.-2 and Hotel Bar F. L.-3 grants to units operated by Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation are from licence condition No. (8-B), licence and condition No. (4) of Licence F. L.-3 respectively, as contained in Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.